

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/५३६०

दिनांक : १०-२-२०२६

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध (बी०एड०) महाविद्यालय/संस्थान,
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय:- उत्तर प्रदेश संयुक्त बी०एड० प्रवेश परीक्षा, २०२६ हेतु आवेदन शुल्क का निर्धारण।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-७, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-०९/सत्तर-७-२०२४ दिनांक: ०५ फरवरी, २०२६ का संदर्भ ग्रहण करें, जो कि उत्तर प्रदेश संयुक्त बी०एड० प्रवेश परीक्षा, २०२६ हेतु आवेदन शुल्क का निर्धारण के सम्बन्ध में है।

उक्त के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि संलग्न पत्र में उल्लेखित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

०१. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
०२. संकायाध्यक्ष शिक्षा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
०३. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
०४. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

/
कुलसचिव

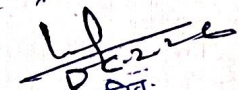
G4898
07/2/26
प्रेषक,

G362
07/2/26

महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या- 09 / सतर-7-2024

A.R. (Affiliation) B. Ed.
Circulate it to colleges.
& copy to Dean (Edu.) & F.O.


कुलसचिव
बी० चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
झांसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक: 5 फरवरी, 2026

विषय:- उत्तर प्रदेश संयुक्त बी०एड० प्रवेश परीक्षा, 2026 हेतु आवेदन शुल्क का निर्धारण।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के पत्र संख्या- एस.बी.सी./2026, दिनांक 29.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराए गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश संयुक्त बी०एड० प्रवेश परीक्षा, 2026 हेतु आवेदन शुल्क का निर्धारण निम्नवत किया जाता है :-

क्र०सं०	आवेदन शुल्क	शुल्क
1.	सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं उ०प्र० राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु	रु० 1650/-
2.	उ०प्र० राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	रु० 850/-
3.	ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण शुल्क	रु० 850/-

2- इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त एवं घटक महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिए शिक्षण पाठ्यक्रमों प्रवेश का विनियमन) (दसवाँ संशोधन) आदेश, 2015 के सुसंगत प्रविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Digitally signed by
GIRIJESH KUMAR TYAGI
Date: 05-02-2026
14:00:32
(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।